(प्रेस विज्ञप्ति)

04.12.2023

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 29 और 30 नवंबर 2023 को चेन्नई और मुंबई में 14 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान का फोकस रामप्रसाद रेड्डी पर था जो मेसर्स गेटवे ऑफिस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) के पूर्व कर्मचारी थे, जिसे 2017 में एक वैश्विक फंड हाउस ज़ेंडर द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिसमें पुखराज जैन परिवार द्वारा नियंत्रित इकाइयाँ (मैसर्स सलेम स्टेनलेस स्टील सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स फोर स्टार एस्टेट्स एलएलपी, मैसर्स हाई हिल्स एलएलपी) और राजेश उर्फ सरवनन जीवानंदम द्वारा नियंत्रित इकाइयाँ (मैसर्स जे के एस कंस्ट्रक्शन, मैसर्स सुयंभू प्रोजेक्ट्स, मैसर्स एस के ट्रेडर्स, मैसर्स एस वी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसर्स जी आर प्रोजेक्ट्स, मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स) शामिल थीं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रामप्रसाद रेड्डी और अन्य के खिलाफ ईडीएफ-II, सीसीबी, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स गेटवे ऑफिस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, 129 करोड़ रुपये की हेराफेरी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच से पता चला कि रामप्रसाद रेड्डी ने अपने परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से रु. 129 करोड़ की हेराफेरी की। नकली चालान जारी करते हुए, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान के बहाने उल्लिखित संस्थाओं के माध्यम से धनराशि की हेराफेरी की गई।

तलाशी अभियान से अघोषित नकदी/भारतीय मुद्रा, बैंक बैलेंस और शेयरों का पता चला। पीएमएलए 2002 की धारा 17(1ए) के तहत कुल रु. 45 करोड़ से अधिक मूल्य की उक्त चल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, मुंबई और चेन्नई में हाई-एंड अपार्टमेंट के साथ-साथ अपराध की आय से प्राप्त अन्य संपत्तियों की पहचान की गई और प्रासंगिक दस्तावेज जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।